फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/3/24	पत्रावली पेश हुई। P.O साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त ... कार्यवाही नहीं की जा सकी ... दिनांक 3/5/24 ... को पेश हो।
	03/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप० पत्रावली वास्ते जवाब प्रा० पत्र T.I. एवं अप्रार्थी संख्या – 8 की तामील हेतु दिनांक 13/05/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	13/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. पत्र T.I. एवं अप्रार्थी संख्या 8 की तलबी हेतु दिनांक 24/5/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	24/5/24	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त/ राशि के कारण कार्यवाही नहीं ... जा सकी। पत्रावली दिनांक 5/7/24 ... को पेश हो।
	05/07/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा०पत्र T I एवं इंतजार तलबी दिनांक 8/7/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	08/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। प्रकरण से संबंधित मूलवाद में अप्रार्थी सं. ⑧ बोदू पुत्र मूल्या रैगर निवासी सामरिया का नाम हुआफ

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	पूर्व में हो चुका है। इसलिये प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में भी अप्रार्थी स. 8 का नाम हजफ किया जाता है। अप्रार्थी स. 3 व 7 सम्यक तामील के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी स. 3 व 7 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन के पश्चात विवादित आराजी खसरा नम्बर 135, 136 स्थित ग्राम सामरिया तह० बस्सी जिला जयपुर में उभय पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभय पक्ष उक्त विवादित आराजी पर तार्फेसला मूलवाद के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	